

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 121 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 30 / 6 / 2026

प्रति,

कलेक्टर

जिला-महासमुंद

छत्तीसगढ़

विषय :-विधानसभा प्रश्न क्रमांक 796 तारांकित द्वारा श्रीमती चातुरी नन्द, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 796 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिफाईड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफाईड फॉन्ट' में) दिनांक 02.07.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

नवा रायपुर, दिनांक 30 / 6 / 2026

पृ.क्रमांक 122 / संचा.-वि.स. / 2026

प्रतिलिपि :-

खाद्य अधिकारी, जिला- महासमुंद, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : महासमुंद जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्यवाही

(तारांकित प्रश्न क्रमांक : 796) श्रीमतीचातुरी नन्द

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) महासमुंद जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी की कितनी शिकायतें 2024-25 से 20 जून, 2026 की स्थिति में प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर कब-कब क्या कार्रवाई की गई है ? शिकायतकर्ता का नाम, शिकायत विवरण, कार्रवाई की जानकारी विधानसभामें बताएं ? (ख) क्या राशन वितरण में गड़बड़ी पर एफआईआर का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितने प्रकरणों में एफआईआर की कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई है ? विधानसभामें प्रकरण सहित जानकारी बताएं ?

उत्तर :

Collector
mahasamund